न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण 1025-II-17

1. रमेश
2. हरीदास
3. पुरूषोत्तम पुत्रगण ढाकन जाटव

निवासीगण ग्राम–लश्करी का पुरा, छौंदा

तहसील–मुरैना, जिला–मुरैना

विरूद्ध

शीला पुत्री ढाकन सिंह जाटव

निवासी ग्राम–लश्करी का पुरा, छौंदा

तहसील–मुरैना, जिला–मुरैना

तहसीलदार वृत–3 तहसील मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/16–17/अ–6 (अ) में पारित आदेश दिनांक 28/03/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश अवैध एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत करते हुये मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त करने में तहसीलदार ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित आपत्तियों का उल्लेख तक अपने आदेश में नहीं किया है एवं आवेदन को विचार योग्य न होने से अस्वीकृत करने की टिप्पणी मात्र की है ऐसा आदेश न्यायालयीन आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1025–दो/17 जिला –मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
6.4.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार वृत्त–3 तहसील मुरैना के प्रकरण कमांक 06/2016–17/अ–6/अ में पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 24.3.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभिक आपत्तिया प्रस्तुत करते हुये म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त करने में तहसीलदार ने गंभीर भूल की है। उनके द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित आपत्तियों का उल्लेख तक अपने आदेश में नहीं किया गया है। आवेदन को विचार योग्यं न होने से अस्वीकृत करने की टिप्पणी मात्र की है ऐसा आदेश न्यायालयीन आदेश की परिभाषा में नही आता है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि तहसीलदार वृत्त–3 तहसील मुरैना के प्र0क006/2016–17/अ–6/अ में	

पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 24.3.2017 को निरस्त कर धारा 32 के आवेदन की विस्तृत विवेचना करने का अनुरोध किया गया है।

3--आवेदक अधिवक्ता के तकों पर विचार किया तथा प्रकरण में सलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन कर पाया गया है कि वास्तव में तहसीलदार द्वारा मात्र यह उल्लेख किया गया है कि धारा 32 का आवेदन विचार योग्य न होने से अस्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार वृत्त--3 तहसील मुरैना के प्रकरण कमांक 06/2016--17/अ--6/अ में पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 24.3.2017 को निरस्त कर धारा 32 के आवेदन की विस्तृत विवेचना कर पुनः आदेश पारित करे। आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य